

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- तरवां

चोरी की घटना को अंजाम देने वाला 01 अभियुक्त अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार

गिरफ्तारी की विवरण- आज दिनांक 14.05.23 को उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह द्वारा अभियुक्त पंकज सिंह उर्फ बाबा पुत्र स्व0 रामाश्रय सिंह निवासी ग्राम मोकलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष को ग्राम अहिरौली से समय करीब 06.10 बजे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल बिना नम्बर व रंग सफेद अपाची RTR 180 CC (जिसके संबंध में थाना सोरांव जनपद प्रयागराज में मु0अ0सं0 524/2018 धारा 379 I.P.C पंजीकृत है) तथा एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 119/23 धारा 41, 411, 413, 414 भादवि व 3/25 A.Act पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 119/2023 धारा - 41, 411, 413, 414 भादवि व 3/25 A. Act थाना तरवा आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

पंकज सिंह उर्फ बाबा पुत्र स्व0 रामाश्रय सिंह निवासी ग्राम मोकलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद मोटर साइकिल व एक अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 जावेद अख्तर मय हमराह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना कन्धरापुर

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण- दिनांक 12.05.2023 को वादिनी थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र लालधर यादव निवासी ग्राम विशौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को प्यार के जाल में फंसाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, जिससे पीडिता 8 माह के गर्भ से हो गयी। वादिनी द्वारा अभियुक्त से शादी की बात करने पर अभियुक्त द्वारा वादिनी व पीडिता को जान से मारने की धमकी दी गयी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-106/2023 धारा 376/506 भादवि व 5 j(ii) /6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक 14.05.2023 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे मय हमराह द्वार मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र लालधर यादव निवासी ग्राम विशौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को मंदूरी तिराहे से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

अखिलेश यादव पुत्र लालधर यादव निवासी ग्राम विशौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 106/23 धारा 376/506 भादवि व 5j(ii)/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 sc/st एक्ट ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष सुनील कुमार दूबे मय हमराह थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

थाना - जीयनपुर

किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

***पूर्व की घटना का विवरण-**

दिनांक-12.05.2023 को वादी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त मनोज पुत्र स्व0 सुबेदार निवासी पारनकुण्डा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किया गया व गाली देते हुए जान मारने की धमकी दी गयी। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/2023 धारा 354,504,506,452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम 1.मनोज पुत्र स्व0 सुबेदार निवासी पारनकुण्डा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया।

***गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 14/05/2023 को उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र स्व0 सुबेदार निवासी पारनकुण्डा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम पारनकुण्डा से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***पंजीकृत अभियोग-**

मु0अ0सं0 311/2023 धारा 354,504,506,452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ ।

***गिरफ्तार अभियुक्त-**

मनोज उर्फ मंजय पुत्र स्व सुबेदार निवासी ग्राम पारनकुण्डा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

***गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह थाना जीयनपुर, आजमगढ़ ।

थाना - देवगांव

चुनावी रंजिश को लेकर मार-पीटकर गंभीर रूप से घायल करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार

***पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-**

दिनांक 14.05.2023 को आवेदक शम्भूनाथ पाण्डेय पुत्र त्रिवेणी पाण्डेय निवासी रेतवाचन्द्रभानपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1. दीपक पाण्डेय पुत्र शिवानन्द पाण्डेय निवासी रेतवाचन्द्रभानपुर थाना देवगांव आजमगढ़ 2. भरत पाण्डेय पुत्र शिवानन्द पाण्डेय निवासी रेतवाचन्द्रभानपुर थाना देवगांव आजमगढ़ 3. देवेन्द्र पाण्डेय पुत्र लालता पाण्डेय निवासी रेतवाचन्द्रभानपुर थाना देवगांव आजमगढ़ द्वारा नगर निकाय चुनाव - 2023 में सभाषद प्रत्याशी के विजयी होने पर चुनावी रंजिश में हारे प्रत्याशी के घर का विडियो बना रहे थे, वीडियो बनाने से मना करने पर अभियुक्तों द्वारा लाठी डण्डे के साथ जान मारने की नीयत से हमला कर दिया गया, जिसमें सत्येन्द्र पाण्डेय पुत्र रमाकान्त पाण्डेय, सुखसागर पाण्डेय पुत्र शम्भूनाथ पाण्डेय के सिर में गम्भीर चोटें आयीं, जिन्हें सीएचसी लालगंज से अचेतावस्था में जिला अस्पताल आजमगढ़ में इलाज हेतु रेफर कर दिया गया है। बीच बचाव करने गये नारेन्द्र पुत्र त्रिवेणी, कृष्णा पुत्र सतीश, सचिन पुत्र बीरेन्द्र को भी मारा-पीटा गया जिससे उन्हें भी हल्की चोटें आयी हैं। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 203/2023 धारा 307,323,34 भादवि पंजीकृत किया गया।

***गिरफ्तारी का विवरण-**

आज दिनांक 14.05.2023 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तों 1. दीपक पाण्डेय पुत्र शिवानन्द पाण्डेय निवासी रेतवा चन्द्रभानपुर थाना देवगांव आजमगढ़ 2. भरत पाण्डेय पुत्र शिवानन्द पाण्डेय निवासी रेतवा चन्द्रभानपुर थाना देवगांव आजमगढ़ 3. देवेन्द्र पाण्डेय पुत्र लालता पाण्डेय निवासी रेतवा चन्द्रभानपुर थाना देवगांव आजमगढ़ को वाराणसी आजमगढ़ मुख्य मार्ग से समय करीब 11.25 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 03 अदद लाठी डण्डा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

***पंजीकृत अभियोग का विवरण-** मु0अ0सं0 203/2023 धारा 307,323,34 भादवि

***बरामदगी का विवरण-** 03 अदद लाठी डण्डा

***गिरफ्तार अभियुक्त:-** 1. दीपक पाण्डेय पुत्र शिवानन्द पाण्डेय निवासी रेतवा चन्द्रभानपुर थाना देवगांव आजमगढ़

2. भरत पाण्डेय पुत्र शिवानन्द पाण्डेय निवासी रेतवा चन्द्रभानपुर थाना देवगांव आजमगढ़

3. देवेन्द्र पाण्डेय पुत्र लालता पाण्डेय निवासी रेतवा चन्द्रभानपुर थाना देवगांव आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

उ0नि0 देवेन्द्र नाथ दुबे मय हमराह थाना देवगांव आजमगढ़

थाना अतरौलिया

गोकशी करने वाला अभियुक्त प्रतिबंधित पशु व टाटा मैजिक गाड़ी के साथ गिरफ्तार

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 14.5.2023 को उ0नि0 उमेश चन्द यादव व उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा कि गदनपुर हाइवे के बगल में जानवरो से लदी एक टाटा मैजिक गाड़ी अनियंत्रित होकर हाइवे के किनारे गड्ढे में पलट गयी है। गाड़ी के शीशे को तोड़कर गाड़ी में फसे व्यक्ति को बाहर निकाला गया और नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम मंजीत यादव पुत्र शेषनाथ यादव उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम एकवारी थाना फेफना जिला बलिया बताया। गाड़ी में लदे गोवंश के बारे में पूछने पर बताया कि अभियुक्त अपने अन्य तीन साथियों के साथ मिलकर अकबरपुर से गाय पकड़कर गोकशी हेतु आजमगढ़ व बलिया के रास्ते बिहार में ले जाकर अधिक दामों में बेचते हैं। अन्य तीनों अभियुक्तों के बारे में पूछने पर बताया कि आज जब गाड़ी पलट गयी तो व तीनों किसी तरह गाड़ी से निकलकर भाग गये मै गाड़ी में फंस गया और भाग नहीं पाया और पकड़ा लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को पकड़कर समय 12.15 PM बजे थाने पर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 1- 01 टाटा मैजिक गाड़ी, 2- 2 राशि जिन्दा व 3-1राशि मृत गोवंश बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 128/23 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 128/23 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मंजीत यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी ग्राम एकवारी थाना फेफना जनपद बलिया

बरामदगी-

1- 01 टाटा मैजिक गाड़ी,

2- 2 राशि जिन्दा व

3-1राशि मृत गोवंश

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 उमेश चन्द यादव व उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़